Advance Authorisation की स्कीम 18/2015 – Cus dated 1.04.2015 में लागू हुई थी | जिसमें निर्यात के बदले आयात करने पर Basic कस्टम ड्यूटी, CVD, SAD इत्यादि सभी custom duties से छूट मिलती थी| परंतु 1.7.2017 से GST लागू होने पर IGST पर छूट मिलनी बंद हो गई| हालांकि CVD और SAD के बदले ही आईजीएसटी लग रहा था फिर भी इस पर छूट नहीं दी गई|

फिर निर्यातकों की मांग पर Notification 79/2017 dated 13.10.2017 से आईजीएसटी पर छूट दी गई पर इसके साथ "Pre-import कंडीशन" भी जोड़ी गई| यह छूट 31 मार्च 2020 तक लागू थी |

"Pre-import कंडीशन" का मतलब यह हुआ की आपको एक्सपोर्ट से पहले इंपोर्ट करना है| अगर आप पहले Domestic इनपुट से एक्सपोर्ट का माल बनाकर निर्यात करते हैं तथा बाद में import करते हैं तो आपको आईजीएसटी की छूट नहीं मिलेगी |

इस पर बहुत सारा विवाद भी हुआ| Madras उच्च न्यायालय ने Vedanta Limited के केस में इस कंडीशन को सही माना पर माननीय Gujarat उच्च न्यायालय ने Maxim Tubes के केस में इस कंडीशन को अमान्य मानते हुए खारिज कर दिया | पर यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया था | उन्होंने डिपार्टमेंट को इसमें stay दे दिया | अभी भी यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है |

परंतु सरकार ने निर्यातकों की तर्कसंगत मांग को देखते हुए "Pre-import condition" को नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 dated 10-01-2019 से हटा दिया|

परंतु आईजीएसटी की छूट को 01.04.2020 तक ही दिया गया था | अतः व्यापार जगत काफी चिंतित था कि यह छूट वापस मिलेगी या नहीं? परंतु सरकार ने 18/2020 – Cus dated 30.03.2020 से यह छूट बढ़ाकर 31.03.2021 तक कर दी है| अतः एडवांस लाइसेंस पर आईजीएसटी की छूट 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी |

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.